International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में लड़कियों की षिक्षा की स्थिति

Km Reema Singh[1], Dr. Manoj Kumar[2]

[1]Research Scholar, Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand
[2]Supervisor, Sai Nath University, Ranchi Jharkhand

प्रस्तावना

लड़कियों की षिक्षा भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने का बहुत बड़ा अवसर है। षिक्षित बालिकाएं वह हथियार है जो घर और पेषेवर क्षेत्रों में अपने योगदान के माध्यम से भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है वे देष के साथ–साथ समाज में बेहतर अर्थव्यवस्था का कारण है इस पत्रिका का उद्देष्य है कि भारत में लड़कियों की षिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर जोर देना। भारत में लड़कियों की षिक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए संभावित सुझाव देना। इस अध्ययन को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेख, रिपोर्ट शोध पत्र , पुस्तकें, आधिकारिक वेबसाइट और आनलाइन सामग्री का उपयोग किया गया है।

परिचय

एक समय था जब लोग सोचते थे कि लड़कियों को षिक्षित करना जरूरी नहीं है लेकिन अब हम महसूस करने लगे है कि लडकियो की षिक्षा जरूरी है आधुनिक युग में लड़कियों के जागरण का युग है वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोषिष कर रही है। बहुत से लोग है जो लड़कियों की षिक्षा का विरोध करते है। वे कहते है कि लड़कियों का सही क्षेत्र घर है इस लिए उनका तर्क है कि लड़कियों की षिक्षा पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद होता है यह विचार गलत है क्योंकि बालिका षिक्षा समाज में एक मौन संकल्प हो सकता है लड़कियो कि षिक्षा समाज मे वंचित वर्ग विषेष लड़कियों के उन्नयन के माध्ययम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि लड़किया समाज की रीढ़ की हड्डी है वे आदि जननी है और आने वाली पीढ़ी की संरक्षक है, इसलिए देष की नियति बनाती है लेकिन वर्तमन परिदृष्य यह है कि लड़कियो की जनसंख्या में वुद्धि हुई है सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के योजनाओं का विकास किया गया है जिससे लड़कियो की षिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई है विद्यालयो में सरकार लड़कियो के लिए सुरक्षा की सुविधा मुहइया करा रही है जिससे हर माता–पिता लड़कियों की सुरक्षा को लेके संतुष्ट है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पिछले कुछ वर्षो में बढी है विष्व बैंक भारत की रिर्पाट के अनुसार, भारत की आजादी के समय 11 लड़कियों में से केवल 1 लड़की साक्षर थी, लगभग 9 प्रतिषत और वर्तमान में महिला साक्षरता 77 प्रतिषत हो गई है जबकि भारत में पुरूषों साक्षरता 84.7 प्रतिषत है

आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकतें है – श्री जवाहरलाल नेहरू

भारत में लड़कियों की षिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

300 से अधिक वर्षो पहले, भारत में लड़कियों के लिए व्यावहारिक रूप से कोई षिक्षा नही थी। उच्च जातियों और उच्च वर्गो की कुछ लड़कियों को घर पर षिक्षा दी जाती थी उस समय लड़कियों की साक्षरता को एक अपमान के रूप में देख जाता था। लड़कियों को षिक्षा देने के बात माता–पिता के मन में कभी नही आई। अधिकाषं हिन्दू परिवार में एक अंधविष्वास की भावना मौजूद थी कि एक लड़की जिसे पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है तो शादी के बाद जल्द ही विधवा हो जाएगी महिला षिक्षा पर राष्ट्रीय समिति (1959) की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़कियों की षिक्षा की सामान्य तस्वीर सबसे असंतोषजनक थी और लड़कियों को व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक निर्देष नहीं मिला, सिवाय घरेलू षिक्षा के जो कुछ भी उपलब्ध था उच्च वर्ग के परिवारों की बेटी के लिए। अमेरिकन मिषन ही था। जिसने पहली बार 1824 में बंबई में लड़कियों के

लिए एक स्कूल शरू किया था । 1829 तक पांच साल कें भीतर उस स्कूल में 400 लड़कियों का नामाकंन हुआ था फिर 19 वीं सदी का पहला दषक मिषपरियों के साथ–साथ भारतीय स्वैच्छिक संगठनों, विद्यालयों के प्रयासो से शुरू हुआ। सरकार ने सामान्य रूप से और विषेष रूप से लड़कियों की प्राथमिक षिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी ली । हालॉकि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण सरकारी प्रयास अधिक आगे नही बढ़ सके। युद्ध के बाद नगरपालिका समिति और अन्य स्थानीय निकायों को प्राथमिक विद्यालय खेलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 1870 में पहली बार महिलाओं के लिए प्रषिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई और महिलाओं को लड़कियों के स्कूलों में षिक्षक बनने के लिए प्रषिक्षित किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 19 वीं सदी की अंतिम तिमाही में बालिका षिक्षा में काफी प्रगती हुई । हालांकि इनके बावजूद लड़के और लड़कियों की षिक्षा के बीच एक बड़ा अतंर था। अनुमान लगाया गया था कि स्कूलों में प्रत्येक 1000 लड़को के लिए लड़कियों की संख्या 49 थी । 19 शताब्दी के शुरूवात में कुलीन घरों में कुछ को छोड़कर देष के शायद ही कोई साक्षर महिला थी। यह आष्चर्य की बात है कि सदी के अंत तक पूरे देष में नए खूले संस्थाओं में सैकड़ो लड़कियों को नामांकित किया गया था। हालांकि लकियों और महिलाओं ने हालके वर्षो में बहुत अधिक शैक्षिक लाभ अर्जित किए है लेकिन अभी भी उनके ऐतिहासिक शैक्षिक नुकसान को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत की षिक्षा प्रणाली कई अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह लंबे समय से महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण रही हैं 1916 में बॉम्बे में एस. एन. डी. टी. महिला विष्वविद्यालय, महिला छात्रों की प्रवेष देने के लिए उच्च षिक्षा का पहला संस्थान बन गया आजादी के बाद और ज्यादातर पिछले दषक में छात्राओं के अनुपात में लागातार वृद्धि हुई है। लड़कियों की साक्षरता दर 1951 में लागातार 8.75 प्रतिषत से बढ़कर 1981 में 29.75 प्रतिषत होगा, 1991 में 39.29 प्रतिषत और 2001 में 54. 16 प्रतिषत हो गई थी 1995 के बाद उच्च षिक्षा में लड़कियों का नामाकंन भी बढ़ा है भारत में लड़कियों की षिक्षा में मुख्य बाधा ग्रामीण निवास, निम्न जाति, निम्न आर्थिक स्थिति है जो लड़की की षिक्षा के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ संयुक्त है ये कारक एक लड़की को षिक्षा के अवसरों से वंचित करता है जबकि माटे तौर पर छात्राओं की षिक्षा ने प्रगति की है और यह आष्चर्य की बात नही है कि आज विष्वविद्यालय के कई संकायो विभागों में और महाविद्यालय में लड़को से ज्यादा लड़किया देखी जाती है ।

भारत में लड़कियों की षिक्षा का महत्व

एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिको द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का एक अहम् हिस्सा है। परिवार की छोटी छोटी इकाइया मिलकर एक समाज का गठन करती हैं और परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है, यदि एक नारी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है और जब एक परिवार शिक्षित होती है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है स्त्री षिक्षा हमारे संस्कृतिक के ऊर्जा और विकास का संचार होती है। एक महान विचारक रूसों ने कहा है, **"यदि आप मुझे सौ आदर्श माताएं दे मै आप को एक आदर्श राष्ट्र दूंगा "** परिवार में शिशु की पहली अध्यापिका या गुरू माँ होती है और जो प्रांरभिक शिक्षा शिशु अपने घर में ग्रहण करता है वो उसे दुनिया के किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती अतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है और जब बात नारी की आती है तो ये नितान्त आवश्यक हो जाता है शिक्षा से बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरसता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलएं पुरूष का सम्पूण योगदान दे रही है एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शान्ति और खुशहाली का स्रोत होती है षिक्षित नारी आत्मविष्वासी होती है नौकरी कर के अपने परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद कर सकती है प्रगतिषील देष के लिए नारी का षिक्षित होना आवष्यक है। महिला सषक्तिकरण लक्ष्य को सही मायने में हासिल करने के लिए षिक्षा ही एक मात्र रास्ता है भारत को एक विकासषील देष लड़कियों की षिक्षा बना सकती है और गरीबी को समाप्त कर सकती है उनकी षिक्षा का लाभ व्यक्तियो, उनके परिवारों और पूरे समाज द्वारा देखा जाता है। महिलाओं कें षिक्षा से लाभ शामिल है–महिलाओं के बच्चों की संख्या को कम करना, षिषुऔर बाल मृत्यु दर में कम करना, एचआईवी और संक्रमण से बचाव, नौकरी और उच्च आय वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि, बालिका षिक्षा निरक्षता को दूर करने में सहायक,

आत्म–सम्मान और आत्मविष्वास विकसित करना। लड़कियों की षिक्षा से युवा लड़कियों के लिए विवाह और गर्भावस्था में देरी का लाभ हो सकता है। स्कूली षिक्षा का प्रत्येक वर्ष एक महिला को उसके और उसके परिवार के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है षिक्षित महिलाओं के अक्सर स्वस्थ परिवार होता है यें महिलाए ज्यादे क्लीलिक और डॉक्टर से चिकित्सा करवाने में सहायता लेती है षिक्षित महिलाए पोषण संबंधी आहार को समझती है और अपने परिवार को स्वस्थ भोजन प्रदान कर सकती है जो विकास को बढ़ावा देती है षिक्षा युवओं को खुद को और अपने घर को साफ और सुरक्षित रखने के महत्व को भी सिखाती है । यदि हम वर्तमान परिस्थिति कि चर्चा करे तो अब नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है, जब कभी नए समाज की स्थापना की जाती है तो शिक्षित महिलाएं एक बेहतर अकार और व्यवस्था प्रदान करती है। शिक्षित नारी आजकल के सभी क्षेत्रों में पदार्पण कर चुकी है, वह एक महान नेता समाज सेविका, चिकित्षक, निदेशक, वकील आदि महान पदों पर कुशलता पूर्वक कार्य करके अपनी अद्वितीय क्षमता को दिखा रही है। यहाँ तक कि सेना में भी महिलाओं का उचित स्थान है सरकार भी अनेक ऐसी योजनाए ले कर आयी है जो नारी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जैसे– बेटी बचाओं बेटी बेटी पढाओं योजना , कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना इत्यादि।

किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति में मापी जा सकती है– डॉ. भीमराव अम्बेडकर।

महिला की समस्या

वैदिक काल से भी ज्यादा महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में गम्भीर हो गई थी वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरूष वर्ग से समान थी वेदो का ज्ञान सम्मान रूप से बालक और बालिकाओं दोनों को दिया जाता था लेकिन मध्यकाल में धीरे–धीरे समस्या उत्पन्न होती गई। समाज में पर्दा प्रथा, सति प्रथा, बाल विवाह इत्यादि की समस्या उत्पन्न हुई। स्त्रियो कि स्थिति समाज में बहुत ही निम्न कोटी की हो गई। जब पुरूष को लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं उनसे अग्रणी है तब महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई और दिन–प्रतिदिन उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई।

नारी समाज की समस्याओं में से कुछ समस्याओं को यहाँ दर्शाया गया है जो निम्न प्रकार है–

1. लिंग भेद की समस्या
2. धार्मिक अंधविष्वास एवं अज्ञानता की समस्या
3. दलित समाज में नारी की चुनौतियां
4. षिक्षा की समस्या
5. स्वास्थ्य संबंधी समस्या
6. यौन उत्पीड़न की समस्या
7. तलाक की समस्या
8. दहेज की समस्या
9. नारी के प्रति हिंसा ही समस्या
10. बाल विवाह की समस्या
11. पर्दा प्रथा की समस्या
12. विधवा–पुनर्विवाह का अभाव
13. संचार माध्यमों द्वारा नारी की विकृत छवि प्रस्तुत करना

भारत में लड़कियों की षिक्षा की स्थिति

भारत में वर्तमान समय षिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है षिक्षित समाज जैसे–जैसे होता जा रहा है वैसे–वैसे लिंग भेद में कमी आ रही है लड़कियों के षिक्षा को लेकर परिवार बाले बहुत ज्यादा सक्रिय है। नई षिक्षा नीति में महिलाओं को लेकर सरकार का कहना कोई भी भारत का ऐसा राज्य, गाँव या परिवार नही छुटना चाहिए जहाँ षिक्षा न पहुचँ सके। हमें हर घर में षिक्षा का विकास करना है देष को आगे बढ़ाना है

प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 2019–20 में 12.08 करोड़ से अधिक था यह 2018–19 की तुलना में 14.08 लाख की वृद्धि हुआ है । 2019–20(2018–19 से) में उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन अनुपात बढ़कर 90.5 (88.5% से), प्राथमिक स्तर पर 98.7% (96.7% से), माध्यमिक स्तर पर 77.8% (76.9% से), और उच्च माध्यमिक स्तर पर 52.4%(50.8% से) हो गया। इस प्रकार 2012–19 से 2019–20 के बीच उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में 13 प्रतिष्त की वद्धि हुई है 2012–13 में यह 39.4 प्रतिष्त था और 2019.20 में 52.4प्रतिष्म हो गया । वृद्धि लड़को की तुलना में अधिक है। उच्च माध्यमिक के लिए लड़कों का जीइआर 2019–20 में 50 प्रतिषत है जबकि 2012–13 में यह 40.8 प्रतिषत था।

उच्चतर षिक्षा में कुल नामांकन अनुमानित 38.5 मिलियन है जिसमें 19.6 मिलियन बालक और 18.8 मिलियन बालिकाएं है। कुल नामांकन की 49 प्रतिषत बालिकाए है। भारत में उच्चतर षिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2020–21 जीइआर के रेपोर्ट के अनुसार 27.1 है जोकि 18–23 वर्ष की आयु समूह की गणना के अनुसार है। उच्चतर षिक्षा में कुल नामांकन का 11.1 प्रतिषत दूरस्थ नामांकन है जिसमें 44.5 प्रतिषत महिला मात्र है।

2020–21 वार्षिक रेपोर्ट के अनुसार भारत में 17 विष्वविद्यालय विषेष रूप से महिलाओं के लिए है जिनमें से 3 राजस्थान, 2 कनार्टक और तमिलनाडू में और अध्रप्रदेष, असम बिहार , दिल्ली, हरियाण, हिमांचल प्रदेष, कर्नाटक , महाराष्ट्र, ओडिषा, उत्तराखंड और पष्चिम बंगाल प्रत्येक में एक है एआईएसएचई वेब पोर्टल पर 1043 विष्वविद्यालय 42343 कालेज और 11779 स्टैंड अलोन संस्थए सुचीबद्ध है। 396 विष्वविद्यालय निजि तौर पर प्रबंधित है 420 विष्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

षिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 1503156 है जिसमें से आधे से अधिक लगभग 57.5 प्रतिषत पुरूष षिक्षक है और 42.5 प्रतिषत महिला षिक्षक है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरूष षिक्षकों की तुलना में मात्र 74 महिला षिक्षक है । गैर–षिक्षण स्टॉफ में महिलाओं की औसत संख्या प्रति 100 की तुलना में 51 है।

महिला और पुरूष का षिक्षा के क्षेत्र में नामांकन की वार्षिक रेपोर्ट (2016–21)

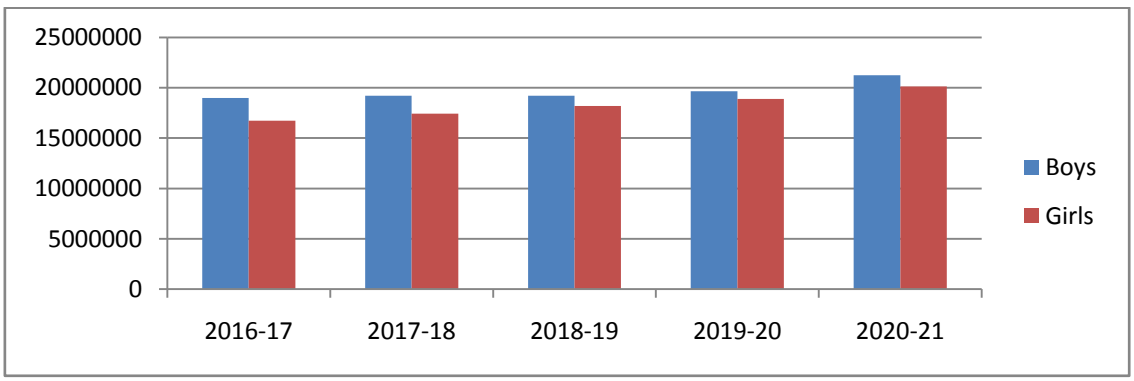

- 2016–17 में षिक्षा के क्षेत्र में 16725310 महिलओं का नामाकंन हुआ था और पुरूष का 18980595 नामांकन हुआ था।

- 2017–18 में षिक्षा के क्षेत्र में 17437703 महिलओं का नामाकंन हुआ था और पुरूष का 19204675 नामांकन हुआ था।
- 2018–19 में षिक्षा के क्षेत्र में 18189500 महिलओं का नामाकंन हुआ था और पुरूष का 19209888 नामांकन हुआ था।
- 2019–20 में षिक्षा के क्षेत्र में 18892612 महिलओं का नामाकंन हुआ था और पुरूष का 19643747 नामांकन हुआ था।
- 2020–21 में षिक्षा के क्षेत्र में 20142803 महिलओं का नामाकंन हुआ है और पुरूष का 21237910 नामांकन हुआ है।

महिला और पुरूष का उच्च षिक्षा के क्षेत्र में नामांकन की वार्षिक रेपोर्ट (2020–21)

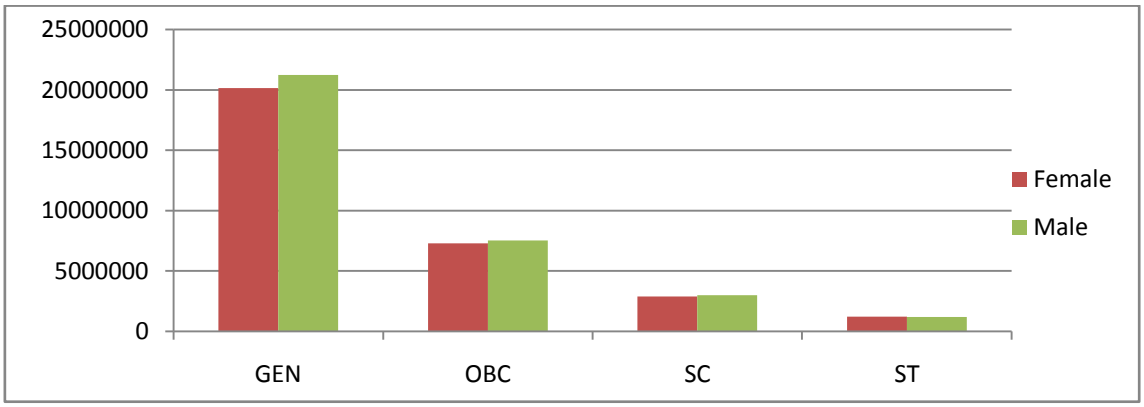

- 2020–21 में उच्च षिक्षा के क्षेत्र में समान्य श्रेणी में महिलाओं का नामांकन 20142803 हुआ और पुरूष का नामांकन 21237910 हुआ ।
- 2020–21 में उच्च षिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ी जाति में महिलाओं का नामांकन 7287671 हुआ और पुरूष का नामांकन 7533866 हुआ ।
- 2020–21 में उच्च षिक्षा के क्षेत्र में अन्य अनुसूचित जाति में महिलाओं का नामांकन 2901179 हुआ और पुरूष का नामांकन 2993521 हुआ ।
- 2020–21 में उच्च षिक्षा के क्षेत्र में अन्य अनुसूचित जनजाति में महिलाओं का नामांकन 1221032 हुआ और पुरूष का नामांकन 1191037 हुआ ।

राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों और समूहो के लिए एक अलग महिला–पुरूष समावेष निधि और विषेष षिक्षा क्षेत्र समान और समावेषी षिक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वचिंत समूहो पर विषेष जोर दिया गया। स्कूल और उच्च षिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक षिक्षा का प्रदर्षन 100 प्रतिष्त युवा और प्रौढ़ साक्षरता हासिल करना। 7.9.2020 में आयोजित उच्चतर षिक्षा रूपान्तरण में राष्ट्रीय षिक्षा नीति की भूमिका पर राज्यपाल ,उपराज्यपाल और षिक्षा मंत्रिय का आनॅलाइन सम्मेलन हुआ।

भारत में बालिका षिक्षा में सुधार के लिए पहलें–

महिलाओं के लिए संवैधानिक उपबंध– स्वतंत्रता के पष्चात भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारत्मक परिवर्तन हुए है। आजादी के 75 वर्षो के पष्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए

बनाये गये अधिनियम की विवेचना करते हैं जो स्ष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देष में नारी की गरिमामया स्थिति को बनाये रखने के लिए के लिए बहुत सारे कानुन बनाये गये है जो इस प्रकार है–

अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही किया जा सकता है अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वषं लिंग, जन्म के आधार पर कोइ विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वंत्रता का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 39 (क) और 39(द) में स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध। अनुच्छेद 42 में महिला को विषेष प्रसूति अवकाष प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 243(द) 3 में प्रत्येक पंचायत में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगें। अनुच्छेद 325 में महिला और पुरूष को सम्मान मतदान का अधिकार दिये गये है।

कानुन ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एंव अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता का प्रवधान किया जो दस प्रकार है–

भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रवधान के अनुसार धारा 292, 294, 312, 318, 354, 361, 363, 366,372, 375, 376, 498, 509, के तहत महिला को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है । जिससे महिलाओ की सुरक्षा हो सके।

महिलाओं के लिए पारित किये गये अधिनियम–

भारम देष में विभिन्न समयों में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मुक्त कराने हेतू बहुत से अधिनियम पारित किये गये है । तथा महिलाओं को सुरक्षा एव अधिकार देने हेतू भी अधिनियम पारित किया गया था तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु भी अधिनियम पारित किये गये है, जो निम्न है।

1. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948
2. दि प्लांटेषनस लेबर अधिनियम, 1951
3. विषेष विवाह अधिनियम, 1954
4. हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955
5. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संषोधन 2005)
6. अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956
7. प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 (संषोधन 1995)
8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
9. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971,
10. ठेका श्रमिक अधिनियम, 1976
11. दि दक्ल रियुरपेष अधिनियम, 1976
12. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
13. आपराधिक विधि अधिनियम, 1983
14. कारखना अधिनियम, 1986
15. इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेषन ऑफ वुमेन एक्ट1986
16. कमीषन ऑफ सती एक्ट, 1987
17. घरेलू हिंसा सं संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं की दषा सुधारने हुतु भारत सरकार द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थानपा की गई तथा देष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सषक्तीकरण वर्ष भी घोषित किया गया।

भारत में बालिकाओं के लिए योजनाए–

भारत सरकार ने बालिकाओं के प्रति सामाजिक रवैये में बदलाव लाने और समाज में उनके उत्थान के उद्देष्य से, पूरे भारत में बालिकाओं की योजना शुरू की गई है। ऐसी योजना को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है– केंद्र सरकार की योजनाएँ और राज्य सरकार की योजनाए।

केंद्र सरकार द्वारा बालिका योजनाएँ– केंद्र सरकार द्वारा बालिका बाल योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रषासित किया जाता है और चाहे वे भारत के किसी भी हिस्से में रहती हों, बालिकाओं और उनके माता–पिता द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण केंदीय सरकारी बालिका बाल योजनाओं की प्रमुख विषेषताएं निम्नलिखित है–

बेटी बचाओं बेटी पढ़ओं – इस योजना की शुरूवात देष के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में लॉन्च की गई। इस योजना शुरूआत बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या दर को कम करने और लड़कियो के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मकता मानसिकता में बदलाव लाना है।

सुकन्या समृद्धि योजना – सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विषेष बचत योजना है, जिसमें एक बालिका को प्राथमिक खाताधरक के रूप में रखा जाता है जबकि माता–पिता , कानुनी अभिभावक खाते के ज्वांइट होल्डर होते हैं। यह खाता बालिका के 10 वर्ष के होने से पहले खोला जा सकता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षो तक योगदान करने की आवष्यकता होती है

बालिका समृद्धि योजना– बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृति योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे वाली लड़कियों और उनकी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देष्य समाज में उनकी स्थिति में सुधार करना लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन में सुधार के साथ–साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढाना है ।

CBSE उड़ान स्कीम – लड़कियों के लिए CBSE उड़ान योजना केंद्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का फोकस भारत में प्रतिष्ठत इंजीनियरिंग और तकनीकि कॉलेजो में लड़कियों के एडमिषन को बढ़ाना है। इस योजना में वे प्रयास शामिल हैं जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो की छात्राओं के विषेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ावा के लिए किए जाते हैं। 11 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए निःषुंल्क पढ़ाई के समान , ऑनलाइन जैसे वीडियो अध्ययन साम्रगी, वीकेंड में पर ऑनलाइन क्लास, मेधावी छात्राओं के लिए सीखने और सलाह देने के अवसर, छात्रों की षिकायतों के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग, छात्रों की प्रगती के निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग इत्यादि का सेवा प्रदान करवाना है

माध्यमिक षिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना–

मध्यमिक षिक्षा योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल षिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय योजना है। यह मुख्य रूप से भारत के पिछड़े वर्गो की लड़कियों को लाभ देने के लिए है।

धनलक्ष्मी योजना– धनलक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2008 में कम आय वाले परिवारों को बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू की बई थी। हालांकि सरकार द्वारा वर्षो से शुरू कर गई अधिक आकर्षक योजनाओं के परिणामस्वरूप, धनलक्ष्मी योजना अब लगभग खत्म हो गई है। यह योजना आंध्रप्रदेष, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिषा, पंजाब और उत्तर प्रदेष में लागू की गई थी। अप्रैल 2013 में इस योजना को बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय तक विभिन्न राज्य में अनेक बाल कल्याण योजनाएं लागू हो चुकी थी।

राज्य सरकार बालिका योजनाएं– केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा भारत के हर राज्य में बालिका कल्याण कर अपनी–अपनी योजनाएं भी है। भारत में सबसे प्रसिद्ध राज्य–वार बालिका योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है– हरियाणा की लाडली योजना, मध्यप्रदेष की लाड़ली योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माज़ी कन्या भाग्यश्री योजना, पष्चिम बंगाल कन्याश्री प्रकल्प योजना आदि।

निष्कर्ष

जिस तरह से हमारा देष दुनिया के तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देषों में शुमार है उसे देखते हुए हम यह कह सकते है कि एक षिक्षित महिला एक जादू की छड़ी की तरह है जो समृद्धि, स्वस्थ्य और गर्व लाती है भारत को 100 प्रतिषत महिला सषक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना आवष्यक है आजादी के बाद से महिला षिक्षा पर बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ सुधार करना बाकी है देष के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार किया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के अतिरिक्त अनेक कार्यक्रम शामिल किए गये है सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की षिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाए और जागरूक कार्यक्रम चलाया गया है महिला षिक्षा के विकास को प्रतिबंधित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक हैं, और अगर हम सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हें पहचानने और उन्हें खत्म करने की आवष्यकता है। वर्तमान समय मे ंमहिला षिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी देष है। भारत का इतिहास बहादुर महिलाओं के लिए कभी खाली नहीं है वैदिक युग में भी महिला दार्षनिकों से भरा है और वर्तमान समय में भी महिला हर क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान हासिल कर रही है। भारत में प्रसिद्ध ऐतिहासिक महिलाएं जो इस उम्र की महीलाओं के लिए प्रेरणा है हम समाज और देष के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। महिलाओं की षिक्षा के क्षेत्र में 2012–2015 तक बहुत खराब स्थिति थी। लेकिन 2022–2023 का नया ड्रापॅआउट में लड़कियों की वार्षिक दर में वृद्धि हुआ है। समाज में यह भी देखा गया है कि माता –पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भारत में लड़कियों की षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियाँ है। यह पत्र सुझाव देता है कि उच्च अधिकारियों समुदाय के सदस्यों गैर सरकारी संगठनों और भारत के सभी नागरिकों को हमारे समाज से लड़कियों की षिक्षा से संबंधित विभिन्न बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी लेनी होगी ।

संदर्भ सूचीः–

- देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्णराज वीमेंन एण्ड सोसायटी इन इंडिया अजंत पब्लिकेषंस दिल्ली।
- महिलाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पखें के आलेख
- श्रीवास्तव, सुधारानी (1999) भारत मे ंमहिलाओं की वैधानिक स्थिति। कामनवेल्थ पब्लिकेषन्स नई दिल्ली।
- यादव राजाराम, भरतीय दंड संहिता, 1860 पंचम संस्करण 2005 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेषन्स, इलाहाबाद।
- रोजगार और निमार्ण मार्च 2005।
- डॉ. सुरेष भटनागर (2023), भारत में षिक्षा का विकास, आर. लाल्ल पब्लिकेषन्स।
- एम. ए. हन्फी (2020), स्त्री षिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर
- जे. सी. अग्रवाल (2014), भारत में नारी षिक्षा व्यवस्था का विकास, षिप्रा पब्लिकेषन्स।
- विकिपीडिया।
- AISHE (2020-21) ALL India Survey Report in Higher Education. MHRD Government of India. New Delhi.
- Unified District information systems for education Plus (UDISE) Flash Statistics 2020-21